



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

निग - 3497- II 16
/2016 पुनरीक्षण

कैलाश पुत्र श्री सुखाली साकेत
(चमार) निवासी- शिवगढ़, तहसील
हनुमना जिला रीवा, म0प्र0

--आवेदक

बनाम

1. भाईलाल यादव पुत्र श्री नचकु
निवासी- शिवगढ़, तहसील हनुमना
जिला रीवा, म0प्र0

2. म0प्र0 शासन --अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व
संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांकी 20/07/2016
पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक खटखरी तहसील हनुमना
जिला रीवा प्रकरण क्रमांक 69ए/12,15-16 व
उनवान भाईलाल बनाम शासन

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि स्थित ग्राम
श्री आराजी क्रमांक 214/1/9 रकवा 0.506
है सीमांकन बावत् आवेदनपत्र खसरा नकल प्लॉट

दिनांक 5-10-16 को
श्री राजस्व मण्डल की कार्यवाही
को हनुमना
5-10-16
50


S.K. Mishra
5/10/16

190
05/10/16

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3497-दो/16

जिला - सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23/05/2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक खटखरी के प्रकरण क्र. 69/अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 20.07.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.2019 को कलेक्टर जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम. शर्मा) सदस्य </p>	

